न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 37/2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक– 18.06.2021

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र शोभागमल पालेचा जाति जैन आयु व्यस्क निवासी निम्बाहेड़ा, तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

– प्रार्थी

बनाम

1. मिनाक्षी पत्नी कपिल भराड़िया जाति माहेश्वरी आयु व्यस्क निवासी निम्बाहेड़ा राज0।
2. स्नेहलता पत्नी श्यामलाल जाति माहेश्वरी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा (राज0)।
3. प्रहलाद पिता शंकरलाल जाति धोबी आयु वयस्क निवासी बरलाई तह0 मनासा।
4. रामप्रसाद पिता छोगालाल जाति खटीक आयु व्यस्क निवासी लसड़ावन ।
5. संपत्त देवी पत्नी रामप्रसाद जाति खटीक आयु व्यस्क निवासी लसड़ावन तह0 निम्बाहेड़ा (राज0)।
6. सुरेश पुत्र उंकारलाल जाति खटीक आयु व्यस्क निवासी रघुनाथपुरा तह0 चित्तौडगढ़ (राज0)।
7. मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति डांगी आयु व्यस्क निवासी सांगरिया तह0 निम्बाहेड़ा (राज0)।
8. राजीबाई पत्नी मांगीलाल जाति डांगी आयु व्यस्क निवासी सांगरिया तह0 निम्बाहेड़ा ।
9. इमरान पिता स्व0 सरदार खा उर्फ छोट खां जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी निम्बाहेड़ा ।
10. सद्दाम पिता मोहम्मद खां मेवाती जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा धीनवा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 190 की आराजी नं0 90 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया उपस्थित जिन्होंने जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित। वकील प्रार्थी एवं वकील विपक्षी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/–रू0 फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा धीनवा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 190 की आराजी नं0 90 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 18.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड़ अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official